झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

—: संकल्प :—

विषय : सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना अन्तर्गत ईचा बाँध निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति के संबंध में।

1. ईचा बाँध सुवर्णरेखा परियोजना का एक महत्वपूर्ण अंग है जिससे 19.75 कि0मी0 लम्बी बायीं नहर तथा 30.21 कि०मी० लम्बी दायीं नहर निकलेगी। Lean सीजन में इसी डैम से खरकई बराज को जल की आपूर्त्ति की जायगी। ईचा बाँध से प0 सिंहभूम जिला के चाईबासा, खूँटपानी, सरायकेला–खरसावाँ जिला के गम्हरिया, राजनगर, सरायकेला एवं खरसावाँ तथा पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका एवं जमशेदपुर प्रखण्डों में 88,524 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। पेयजल हेतु 50 MCM तथा औद्योगिक उपयोग हेतु 74 MCM जल उपलब्ध हो सकेगा। इसके अतिरिक्त खरकई नदी में बाढ़ की स्थिति पर भी नियंत्रण हो सकेगा।

2. इस बाँध के डूब क्षेत्र अन्तर्गत 26 गाँव पूर्ण रूप से तथा 61 गाँव आंशिक रूप से प्रभावित होंगे। इस बाँध के निर्माण हेतु 8,651 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जाना है जिसमें से अब तक 4,423 हेक्टेयर भूमि का अर्जन हो सका है। शेष भूमि के अर्जन में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। नये भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 41(3) के तहत् Scheduled Areas में भूमि अर्जन के लिए ग्राम सभा की सहमति आवश्यक है, जिसे प्राप्त करने में कठिनाई महसूस हो रही है।

3. ईचा बाँध तथा इसकी दोनों नहरों एवं वितरणियों के निर्माण पर 489.11 करोड़ रू0, भूमि अर्जन पर 127.51 करोड़ तथा पुनर्वास मद में 70.25 करोड़ रू0 का व्यय हो चुका है। 502 लोगों को वर्ग 3 एवं 4 में नौकरी भी दी जा चुकी है।

4. a) सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना का कार्यान्वयन AIBP के तहत् केन्द्रीय अनुदान की राशि प्राप्त कर कराया जा रहा है। सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना को AIBP में सम्मिलित करने हेतु सभी प्रपत्रों एवं MOU के साथ प्रस्ताव विभागीय पत्रांक– 938 दिनांक 09.09.2011 (परिशिष्ट–I) द्वारा समर्पित किया गया था। इस योजना को MOU के अनुसार मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना था। विभाग द्वारा समर्पित प्रस्ताव के आलोक में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–1466 दिनांक 21.02.2012 (परिशिष्ट–II) द्वारा रू० 335.54 करोड़ की राशि विमुक्त की गई थी। तत्पश्चात् वर्ष 2012–13 एवं 2015–16 में क्रमशः रू० 515.72 करोड़ एवं रू० 281.62 करोड़ की राशि विमुक्त की गई थी।

   b) इस योजना के कार्यान्वयन में भू–अर्जन एवं वनभूमि में हो रहे विलम्ब के कारण जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–2(82)/2/2010-WR दिनांक 04.09.2014 द्वारा मार्च 2018 तक पूर्ण करने हेतु समयवृद्धि की स्वीकृति दी गई थी (परिशिष्ट–III)।

c) सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना को 99 priorities schemes में सम्मिलित करते हुए जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना के सभी अवयवो को दिसम्बर 2019 तक पूर्ण करने की स्वीकृति प्राप्त है (परिशिष्ट–IV)।

d) ईचा बाँध सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना का एक महत्वपूर्ण अवयव है। यदि इस बाँध का निर्माण नहीं होता है तो सुवर्णरेखा परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति पर कुप्रभाव पड़ने के अतिरिक्त भारत सरकार से AIBP के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान राशि ऋण में परिवर्तित हो जायगी तथा इस पर अब तक व्यय की गई लगभग 686 करोड़ की राशि निश्फल व्यय के रूप में आँकी जायगी। इसके अतिरिक्त खरकई बराज की उपयोगिता भी घट जायगी। 88,524 हेक्टेयर लक्षित सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो सकेगी।

5. a) ईचा बाँध का कार्य सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से पूर्व में प्रारम्भ किया गया था एवं बाँध का 30% कार्य पुरा कर लिया गया था। विश्व बैंक द्वारा सहायता बन्द कर दिये जाने एवं तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा योजना हेतु राशि नहीं विमुक्त किये जाने के फलस्वरूप ईचा बाँध निर्माण का कार्य बन्द हो गया।

b) ईचा बाँध निर्माण के अवशेष कार्य हेतु NIT No.- WRD/IGC/KDD2/ IFB-01/2013-14 dated 28.02.2014 द्वारा निविदा आमंत्रित की गई। दिनांक 02.06.2014 एवं 06.06.2014 को निविदा के निष्पादन हेतु सम्पन्न विभागीय निविदा समिति द्वारा इस निविदा को रद्द करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया (परिशिष्ट–V)।

c) विभागीय निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध एक निविदादाता M/s CWE-SOMA Consortium द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में वाद सं० WP(C)-2845/14 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा पारित न्याय निर्णय में विभागीय निविदा समिति के निर्णय को रद्द करते हुए इस निविदा पर आगे की कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया (परिशिष्ट–VI)।

d) WP(C) No.-2845/2014 मामले में पारित न्याय निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा LPA No.- 309/2014 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा यह न्याय निर्णय पारित किया गया कि निविदा समिति तकनीकी एवं वित्तीय बीड को खोलकर आगे की कार्रवाई करें एवं बाँध का कार्य पूर्ण करें (परिशिष्ट–VII)।

e) LPA मामले को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा पारित न्याय निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विभाग द्वारा वाद सं०–SLP(C) No. 9285/2015 दायर किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा मामले की अंतिम सुनवाई के उपरान्त पारित न्याय निर्णय में विभाग के पक्ष में निर्णय दिया गया है (परिशिष्ट–VIII)।

6. इस बाँध के निर्माण के संबंध में दिनांक–27.09.2014 को सम्पन्न Tribal Advisory Council की बैठक में चर्चा हुई थी। TAC के द्वारा एक उप समिति का गठन किया गया था। इस उप समिति के द्वारा बाँध निर्माण की परियोजना को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है (परिशिष्ट–IX)।

7. ईचा बाँध के अवशेष कार्य को पूर्ण करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 07.11.2017 को एक बैठक हुई, जिसकी कार्यवाही परिशिष्ट–X पर संलग्न है। बैठक में समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि ईचा बाँध के FRL 225 मी० के विरूद्ध level 213 मी० तक का पुर्ण रूप से भू–अर्जन हो चुका है एवं प्रभावित 377 व्यक्तियों को नौकरी दी जा चुकी है। अतः निर्णय लिया गया कि बाँध का जल स्तर 213 मी० तक सीमित करने की समीक्षा कर ली जाय एवं viable पाए जाने पर बाँध निर्माण की दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

8. माननीय मुख्यमंत्री के निदेश के अनुसार RL 213 मी० पर बाँध निर्माण के viability की जाँच कर क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा इस प्रस्ताव को viable पाया गया (परिशिष्ट–XI)।

9. माननीय मुख्यमंत्री के निदेश के आलोक में प्रस्ताव viable पाये जाने के फलस्वरूप ईचा बाँध का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए मंत्रीपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के क्रम में मुख्य सचिव, झारखण्ड के निदेशानुसार विकास आयुक्त की अध्यक्षता में योजना प्राधिकृत समिति द्वारा ईचा बाँध निर्माण के संबंध में विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की विवेचना की गई।

10. राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि "प्रशासी विभाग ईचा बाँध निर्माण कार्य के साथ–साथ भू–अर्जन की कार्रवाई भी करे तथा एक Time line इस प्रकार निर्धारित की जाय कि ईचा बाँध के निर्माण अवधि में ही सम्पूर्ण डूब क्षेत्र के भू–अर्जन एवं विस्थापितों के पुनर्वास का कार्य पूर्ण हो जाये।

11. योजना प्राधिकृत समिति के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में विभाग द्वारा ईचा बाँध के निर्माण हेतु कार्य प्रारम्भ होने से 3 वर्षों का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस अवधि में विभाग द्वारा योजना के सम्पूर्ण डूब क्षेत्र के भू–अर्जन एवं विस्थापितों के पुनर्वास की कार्रवाई पूर्ण कर ली जायेगी।

12. मंत्रिपरिषद् की दिनांक 17.01.2019 को आयोजित बैठक में मद संख्या–'6' के रूप में सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना अन्तर्गत ईचा बाँध के निर्माण कार्यों को प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

23.1.19

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/857/2014– 122 /राँची, दिनांक 23.01.2019

प्रतिलिपि : अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखंड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित करते हुए उनकी 100 प्रतियाँ जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

23.1.19

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/857/2014– 122 /राँची, दिनांक 23.01.2019

प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के अपर सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.1.19

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/857/2014– 122 /राँची, दिनांक 23.01.2019

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा/उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम/पश्चिमी सिंहभूम/सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.1.19

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/857/2014– 122 /राँची, दिनांक 23.01.2019

प्रतिलिपि : प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, चांडिल/ईचा–गालूडीह कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.1.19

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/857/2014– 122 /राँची, दिनांक 23.01.2019

प्रतिलिपि : वेब सूचना पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर upload करने हेतु प्रेषित।

23.1.19

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव